Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) 22 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 सितम्बर,* सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) तत्कालीन नाका फैलीपुरा, रेंज हिण्डौन हाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज मण्डरायल, जिला करौली को परिवादी से **22 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वन क्षेत्र में मिट्टी खुदाई का केस नहीं बनाने की एवज में मासिक बंधी के रूप में राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) तत्कालीन नाका फैलीपुरा, रेंज हिण्डौन हाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज मण्डरायल, जिला करौली एवं अन्य कार्मिकों द्वारा **22 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी की करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह गुर्जर निवासी बड़ागांव, पुलिस थाना सलेमपुर, तहसील महवा, जिला दौसा हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) तत्कालीन नाका फैलीपुरा, रेंज हिण्डौन हाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज मण्डरायल, जिला करौली को परिवादी से **22 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य कार्मिकों की संलिप्तता की जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।